यालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

12/14/19 ....

तारीख रजू........................

कमलचन्द सैनी बनाम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत लीली।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.9.19	वकील अपीलान्ट उपस्थित। यह अपील अपीलान्ट की ओर से फतेह सिंह सैनी एड० को पेश किया। कायमिय रिपोर्ट की गई। दर्ज पंजिका हो। रेस्पो० अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 22/10/19 को पेश हो। [signature] SDO	
22/10/19	वकील अपीलान्ट उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक 13.9.19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 6/1/20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
6/1/20	कुशाय करोकेन P.O. वाहन चुनाव कार्य में व्यस्त पत्रावली दिनांक 4/2/20 को पेश हो। [stamp]	
4/2/20	वकील अपीलान्ट उपस्थित साबिक आदेश दिनांक 13.9.19 की पालना में पत्रावली वास्ते तलबी AD दिनांक 25/2/20 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	DN 210

नम्बर हुक्म अहकाम की तामील	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/7/22	मुताबिक हिदायत उप०/P.O. साहब ....(कोर्ट न०)..... पत्रावली दिनांक 29.10.21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
29.10.21	प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आयोजित PG K 81 कैम्प कोर्ट में रखने योग्य पाया जाता है। अतः पत्रावली लोक अदालत में पंचायत मुख्यालय ...सौंखर... पर दिनांक ...1/12/21... को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
1/12/22	पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। गैर साईल रेस्पोंडेंट 2 व 3 की ओर से श्री सुनील कुमार अधिवक्ता ने इकबाल जवाब प्रस्तुत किया। साथ ही ग्राम की ओर मौका पर्चा पर रिपोर्ट करवाई व तदर्थ ग्राम पंचायत तहसीलदार ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई का मौका पर्चा किया गया जो शामिल मिसल है। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 497 वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर के मुताबिक आराजी पर अपीलार्थी का नाम कमलेश पुत्र ... के स्थान पर कमलचन्द जैन पुत्र ... दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया। अपील अपीलार्थी फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया) (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12 / 14 / 2019

वउनवान

1. कमलचन्द सैनी पुत्र श्री पून्याराम सैनी जाति सैनी निवासी सौंखर तहसील कठूमर जिला अलवर

------ अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सौंखर जरिए सरपंच ग्राम पंचायत सौंखर पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर
2. पप्पू पुत्र पून्या जाति मीना निवासी सौंखर तहसील कठूमर
3. प्रहलाद पुत्र पून्या जाति मीना निवासी सौंखर तहसील कठूमर

------ रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 497 ग्राम
सौंखर आज्ञा दिनांक 01.07.1981

उपस्थित :-

श्री फतेहसिंह सैनी अधिवक्ता – अपीलाण्ट की ओर से

निर्णय दिनांक 01.12.2021

संक्षिप्त तथ्य अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि अपीलाण्ट के पिता पून्या की कब्जे काश्त खातेदारी ग्राम सौंखर तहसील कठूमर में वाके है। अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 2–3 के पिता पून्या के देहान्त होने के बाद मृतक पून्या का विरासत इन्तकाल पटवारी हल्का द्वारा मृतक के वारिसान के हक

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

में दर्ज किया गया था। जिस इन्तकाल संख्या 497 वाके ग्राम सौंखर में पटवारी हल्का द्वारा मृतक पून्या के वारिसान की जांच किये विना ही विधि विरूद्व तरीके से अपीलाण्ट का नाम कमलचन्द के स्थान पर कमलेश दर्ज कर दिया। जवकि अपीलाण्ट का आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, व समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों में कमलचन्द दर्ज है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलाण्ट का नाम कमलचन्द दर्ज करना चाहिए था लेकिन विना जांच किये ही कमलेश दर्ज कर दिया जिस पर विना गौर किये व विना जांच किये ही सरपंच ग्राम पंचायत सौंखर द्वारा तस्दीक किया गया है। अपीलाण्ट दिनांक 25.08.2019 को पटवारी हल्का के पास अपनी खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम सौंखर वावत के सी सी की फाइल तैयार कराने गया तो पटवारी हलका ने अपीलाण्ट से कहा कि विवादित आराजी में आपका नाम कमलेश दर्ज हो रहा है। तुझे के सी सी ऋण नहीं मिलेगा। अतः अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 497 निरस्त कर अपीलाण्ट का नाम कमलेश के स्थान पर कमलचन्द दर्ज किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को जरिये सम्मन तलव किया गया।

रेस्पोडेण्टस की ओर से इकबाल पेश हुआ है तथा अपील स्वीकार कर अपीलाण्ट का नाम कमलेश के स्थान पर कमलचन्द करने की सहमति दी है। रेस्पो0 सं0 1 को तामीली नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाया गया।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ नकल जमाबन्दी हाल, इन्तकाल संख्या 497 वाके ग्राम सौंखर की सत्यप्रतिलिपी व आधारकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, मार्कसीट की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

पत्रावली प्रशासन गांव के संग शिविर सौंखर में प्रस्तुत हुई है। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। वादी के दावा व प्रतिवादी के जवाव दावा के आधार पर वाद में कुल तीन तनकियां कायम की गयीं। अधिवक्ता वादी व पैरोकार सरकार की वहस सुनी तथा पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड तथा पर्चा मौका व गवाहान के वयानों का अवलोकन किया। प्रकरण के निस्तारण के लिये शिविर में मौका पर्चा तैयार कराया गया। मौका पर्चा में यह बताया गया कि हाल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 वाके ग्राम सौंखर के खाता संख्या 466 में कमलेश पुत्र पून्या हिस्सा 1/3 जाति माली सा0 देह खातेदार रेकार्ड दर्ज है। पून्याराम पुत्र पांच्या के विरासत इन्तकाल संख्या 497 में दर्ज होते समय ही प्रार्थी का नाम कमलेश गलत दर्ज हो गया था जवकि प्रार्थी का सही नाम कमलचन्द है। जिसकी जानकारी मजमें आम में की गई सभी ग्रामवासियों से जानकारी करने पर पाया गया कि पून्याराम पुत्र पांच्या जाति माली निवासी सौंखर के तीन लडके पप्पू, प्रहलाद और कमल है। मौका पर्चा पर सरपंच ग्राम पंचायत सौंखर, पटवारी हल्का सौंखर, व ग्रामवासियान के हस्ताक्षर है। तहसीलदार कठूमर ने मौका पर्चा पर राजस्व रेकार्ड में कमलेश के स्थान पर कमल दर्ज करने की अभिसंशा की है। इन्तकाल संख्या 497 वाके ग्राम सौंखर अपीलाण्ट को विना वुलाये ही दर्ज करना प्रतीत होता है। अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेजात मौका पर्चा तहसीलदार कठूमर की अभिसंशा व रेस्पो0 सं0 2–3 के ईकवाल के अवलोकन से अपीलाण्ट का नाम कमलेश न होकर कमलचन्द सैनी होना पाया जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 497 वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर से प्रभावित आराजी पर अपीलाण्ट का नाम कमलेश पुत्र पून्याराम के स्थान पर कमलचन्द सैनी पुत्र पून्याराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 01.12.2021 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)